ISSN Print: 2664-7699
ISSN Online: 2664-7702
Impact Factor: RJIF 8.00
IJHA 2025; 7(1): 47-50
www.humanitiesjournals.net
Received: 25-11-2024
Accepted: 30-12-2024

डॉ. आलोक राज
पूर्व शोधार्थी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा कोसी कॉलोनी, पूर्णिया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. आलोक राज
पूर्व शोधार्थी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा कोसी कॉलोनी, पूर्णिया, बिहार, भारत

राजनीतिक आरक्षण और भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर इसका प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

आलोक राज

DOI: https://doi.org/10.33545/26647699.2025.v7.i1a.118

सारांश

सदियों के संघर्ष के बाद, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत की अवधारणा समानता, लोकतंत्र और सद्भाव पर आधारित थी। इस देश को विविधता में एकता का मॉडल बनाने की उम्मीद में, संविधान के संस्थापकों ने धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतंत्र प्रणाली के साथ-साथ जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, भारत अपने सभी निवासियों को देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ावा देने और शामिल करने का प्रयास करता है। देश के राजनीतिक मामलों में महिलाओं को शामिल करने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिखाई देने के लिए, सरकार 1992 का 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई। वर्तमान पत्र महिलाओं के लिए आरक्षण प्रणाली की समस्याओं और संभावनाओं के बारे में मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने का एक प्रयास है। यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण प्रणाली ने भारत की राजनीति में बदलाव लाए हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है, और उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी सीमित है। अध्ययन सरकार और अन्य हितधारकों को कुछ सुझाव और सिफारिशें प्रदान करता है जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधाओं और बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे।

कुटशब्द: भारत, सामाजिक, आर्थिक, स्वतंत्रता, समानता

प्रस्तावना

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी दुनिया भर में बहस का विषय है। भारत में, प्रेरणा स्थानीय स्वशासन की औपनिवेशिक विरासत और महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर 'ग्रामीण गणराज्यों' के दृष्टिकोण से ली गई थी। महिलाओं की कम राजनीतिक भागीदारी के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद महसूस की गई जब इसने पूर्ण संविधान बनाया।

संविधान न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मामलों में भी समानता प्रदान करता है (एग्नेस, 2008)[1]। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी अभी भी नगण्य है। भारत सरकार ने संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया, जिसमें समावेशी भागीदारी और महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देने के इरादे से महिलाओं को एक तिहाई सीटें प्रदान की गईं

साहित्य की समीक्षा

राजनीतिक आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायत स्तर के संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने बहुत अच्छे परिणाम दिखाए हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व हुआ है जिन्हें अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले मौका नहीं दिया गया था। अपने निष्कर्षों में एक अध्ययन लिंग कोटा की ओर इशारा करता है जिसे असमानताओं को खत्म करने की एक प्रभावी तकनीक के रूप में लागू किया गया था, जिसने वंचित महिलाओं की अधिक आवाज और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अधिक अवसरों के प्रावधान में योगदान करने में सकारात्मक रूप से मदद की है (प्रीबे, 2017)[2].

अध्ययन में पाया गया है कि किसी भी चुनाव के लिए आरक्षित कोटा, जो किसी भी चुनाव में लड़ी गई सीटों का एक हिस्सा उनके लिए आरक्षित करके महिलाओं के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ने अपील का एक महत्वपूर्ण सौदा प्राप्त किया है। भारत से 15 वर्षों के राष्ट्रव्यापी आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह पाया गया कि लिंग कोटा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाता है, नेताओं को जवाबदेह ठहराने की उनकी क्षमता, और सार्वजनिक वस्तुओं में योगदान करने की उनकी इच्छा (डीनिंगर एट अल। पश्चिम बंगाल में किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, महिलाएं सार्वजनिक वस्तुओं पर अधिक ध्यान देती हैं जो उन्हें चिंतित करती हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कें, और सार्वजनिक वस्तुओं पर कम ध्यान देती हैं जो पुरुषों की रुचि रखते हैं। एक जाँच से पता चलता है कि आरक्षण के परिणामस्वरूप महिलाओं को एक उच्च सामाजिक स्थिति दी जाती है, और परिणामस्वरूप, वे अधिक बार कार्यालय के लिए दौड़ने का प्रयास करती हैं। यह देखा जा सकता है कि अधिकांश दरबारी आरक्षण नीति को अपना रहे हैं, और अन्य नए लोकतंत्र भी बन रहे हैं, जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को गति देते हैं (चट्टोपाध्याय और डुफ्लो, 2004)[3] एक अध्ययन में, यह पाया गया कि आरक्षण या कोटा प्रणाली ने उन महिला उम्मीदवारों को संभावित लाभ दिए हैं जो कोटा प्रणाली के आधार पर राजनीति में शामिल होना चाहती हैं; बॉम्बे के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ता ने पाया कि एक महिला को पद प्राप्त करने की संभावना है यदि पिछले चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए नामित किया गया था, तो निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आवंटित नहीं किया गया था (भवनानी, 2009)[6]। इसका तर्क है कि आरक्षण महिलाओं को जीत की संभावना के कारण अपनी पसंद से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करता है।

शोध कार्यप्रणाली

वर्तमान पत्र जमीनी स्तर पर राजनीतिक आरक्षण प्रणाली और भागीदारी, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव पर मौजूदा साहित्य की गहन समीक्षा पर आधारित है। साहित्य की इस समीक्षा में पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट आदि शामिल हैं। समीक्षा का प्रमुख फोकस महिलाओं की भागीदारी, लैंगिक समानता, विकास कार्यों और महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति पर आरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करना रहा है।

राजनीतिक आरक्षण और चुनौतियां

राजनीतिक आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ, राजनीतिक दल आरक्षित क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों को केवल सीटों को भरने के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों के रूप में मैदान में

उतारने की कोशिश करते हैं, और वास्तविक काम परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है, इस प्रकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा आती है (कारेकुरवे-रामचंद्र और ली, 2020) यह भी तर्क दिया जाता है कि इस आरक्षण प्रणाली ने महिलाओं के और हाशिए पर जाने को जन्म दिया है क्योंकि चुनाव में केवल उन्हीं महिलाओं को मैदान में उतारा जाता है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से हैं।

कोटा प्रणाली का उपयोग अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है और हाशिए पर पड़े समूहों को आरक्षण प्रणाली से बाहर रखा जाता है। यह भी पाया गया है कि वंचित श्रेणियों से संबंधित लोगों के अपनी सामाजिक स्थिति के कारण निर्वाचित होने की संभावना कम होती है (निस्पेल, 2020)

लैंगिक समानता और आर्थिक विकास के बारे में राजनीतिक आरक्षण

पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से लैंगिक समानता में सुधार हुआ है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इन महिलाओं को उनके जीवनसाथी द्वारा कार्यालयों के लिए चुना जाता है, जो प्रतीकात्मकता का प्रतीक बन जाता है। शोध से पता चलता है कि पुरुष और महिला नेताओं के बीच प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है।

निष्कर्षों (बान और राव, 2008)[5] के अनुसार, महिलाएं कई स्थानों पर पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जहां उनके पास अधिक राजनीतिक अनुभव होता है और जहां वे उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में रहती हैं। इस आरक्षण प्रणाली ने सामान्य रूप से दलित महिलाओं और विशेष रूप से दलित महिलाओं का उत्थान किया। उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन अधिनियम के लागू होने के साथ, ये महिलाएं राजनीति में भाग लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने में सक्षम हुईं (बार्की, 2016)[10] आरक्षण प्रणाली के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी महिलाओं के आर्थिक विकास को ऊपर की ओर धकेलती है क्योंकि महिलाएं राजनीतिक पदों पर महिलाओं की मदद से असंगठित क्षेत्रों में संलग्न हो जाती हैं। 1960 और 1992 के बीच सोलह प्रमुख भारतीय राज्यों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, एक अध्ययन ने निर्धारित किया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सीटों के अनुपात को बढ़ाने से गरीबी बहुत कम हो जाती है, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षित सीटों के अनुपात को बढ़ाने से गरीबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण का शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह गरीबी रेखा के करीब और उससे नीचे दोनों लोगों की सहायता करता प्रतीत होता है।

राजनीतिक आरक्षण, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय

भारत में राजनीतिक स्थानों पर पुरुषों का कब्जा रहा है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुष प्रधान है। इस राजनीतिक व्यवस्था में, महिलाओं को सामाजिक न्याय प्रदान नहीं किया जाता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आरक्षण के कारणों को सामने रखा गया है क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि लिंग-संतुलित प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय और निर्णय लेने में भागीदारी के संदर्भ में विकास के संबंध में प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण और चिंताओं को प्रभावित करेगा और आरक्षण के लिए अवसर प्रदान करेगा।

पिछड़ेपन से उभरने वाले वंचित समूह (शर्मा, 2000) राजनीतिक आरक्षण लागू होने के बाद, असंगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रतिष्ठान थे, और महिलाओं को बुनियादी ढांचे के कार्यों में अधिक निवेश करते देखा गया। राजनीति में महिलाओं के संपर्क में आने से महिलाओं के प्रति पुरुषों की धारणा में सुधार हुआ। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण से आर्थिक संभावनाओं में सुधार होता है, जो किसी व्यक्ति की राजनीतिक आवाज के आकार के साथ बढ़ता है, इन राजनीतिक आरक्षणों से

जुड़े सशक्तिकरण लाभों को सुविधाजनक बनाता है (गनी, एट अल।

निष्कर्ष

जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। इसके लागू होने के बाद से यह बड़ी बहस का विषय रहा है। आरक्षण प्रणाली के पक्ष में और विरोध में दोनों तर्क हैं।

यह राजनीतिक आरक्षण ग्रामीण भारत में रहने वाले आम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के शुद्ध इरादे से लागू किया गया था। इसका मुख्य फोकस और लक्ष्य महिलाओं जैसे देश के हाशिए पर पड़े वर्ग थे। अध्ययन में पाया गया है कि आरक्षण नीति ने राजनीतिक भागीदारी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर संभावित परिणाम प्राप्त किए हैं। इसने उन्हें अपनी महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मंच दिया है। इस आरक्षण प्रणाली के साथ मुख्य चुनौती छद्म उम्मीदवारी रही है जो महिलाओं के पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को आरक्षित सीटों पर चुनाव में उतारा जाता है। इस प्रकार यह सुझाव दिया जाता है कि इस आरक्षण प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन होना चाहिए और इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सरकार को महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि वे राजनेताओं और परिवार के पुरुष सदस्यों से प्रभावित न हों।

संदर्भ

1. एग्नेस एफ. महिला अधिकार और विधायी सुधार सारांश. कानूनी जानकारी का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2008;36(2):265-270।
2. प्रीबे जे. ए. राजनीतिक आरक्षण और महिला आरक्षण सशक्तिकरणः महाराष्ट्र, भारत से साक्ष्य। ऑक्सफोर्ड विकास अध्ययन। 2017;45 (4):499-521।
3. चट्टोपाध्याय आर, डुफ्लो ई. नीति निर्माताओं के रूप में महिलाएं: में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य भारत. इकोनोमीट्रिका। 2004;72(5):1409-1443
4. डीनिंगर के, जिन एस, नागराजन एचके, फेंग एक्स। करता है? महिला आरक्षण दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव डालता है परिणाम? ग्रामीण भारत से साक्ष्य। की पत्रिका विकास अध्ययन। 2021;51(1):32-49।
5. बान आर, राव वी. टोकनिज़्म या एजेंसी? का प्रभाव ग्रामीण लोकतंत्रों में महिलाओं को आरक्षण दक्षिण भारत। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक बदलो। 2008;56(3):501-530।
6. भवनानी आरआर। क्या चुनावी कोटा उनके बाद काम करते हैं वापस ले लिए गए हैं? एक प्राकृतिक प्रयोग से साक्ष्य भारत में। अमेरिकी राजनीति विज्ञान समीक्षा। 2019;103(01):23-35।
7. शर्मा के. शक्ति और प्रतिनिधित्वः के लिए आरक्षण भारत में महिलाएं। एशियन जर्नल ऑफ वुमेन्स स्टडीज। 2000;6(1):47-87।
8. गनी केर, डी. ओ 'कोनेल ई., विलियम आर. स्टीफन। राजनीतिक आरक्षण और महिला उद्यमिता भारत में। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स; c2024. p. 138-153।
9. चट्टोपाध्याय आर, डुफ्लो ई. में आरक्षण का प्रभाव पंचायती राजः राष्ट्रव्यापी साक्ष्य यादृच्छिक प्रयोग। आरईपीईसीः रिसर्च पेपर्स इन अर्थशास्त्र; c2003. p. 1-22.
10. बार्की एस. राजनीतिक आरक्षण और इन पर इसका प्रभाव दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारीः विशेष ध्यान चित्रदुर्ग जिले में। ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च विश्लेषण करें। 2016, 5 (7)